राजस्थान उपनिवेशन (अतिचारियों का निष्कासन) नियम, 1975

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ 280
2. परिभाषायें 280
3. सूचना का प्ररूप 280
4. अतिचारी को लाये जाने का निर्देश देने के लिए वारंट 280

5. अतिचारी को कारागार सुपुर्द्ध करने का वारंट..... 280
6. सिविल बन्दी का वर्गीकरण..... 280
7. निजी साधनों से भोजन एवं वस्त्र..... 281
प्ररूप 281-283

राजस्थान उपनिवेशन (अतिचारियों का निष्कासन) नियम, 1975

[अधिसूचना सं. एफ. 4 (23) राजस्व/उपनि./75, दिनांक 24.11.1975, राजस्थान राजपत्र भाग - IV, असाधारण दिनांक 27.11.1975 में प्रकाशित]

निम्नलिखित के द्वारा यथासंशोधित :–

1. अधिसूचना सं. एफ. 4 (31) राजस्व/उपनि./76, दिनांक 16.04.1979, राजस्थान राजपत्र भाग IV-ग(I) दिनांक 19.04.1979 में प्रकाशित।

राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 (1954 का राजस्थान अधिनियम सं. 27) की धारा 28 सपठित धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार अतिचारियों के निष्कासन के लिए उपबन्ध करने हेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है; नामार्थ :–

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ** – (1) इन नियमों को राजस्थान उपनिवेशन (अतिचारियों का निष्कासन) नियम, 1975 कहा जा सकेगा।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषायें** – जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इन नियमों में –

(क) **"अधिनियम"** से राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 (1954 का राजस्थान अधिनियम सं. 27) अभिप्रेत है;

(ख) **"धारा"** से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(ग) **"प्ररूप"** से इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

3. **सूचना का प्ररूप** – धारा 22 की उप-धारा (3) [1][x x x x] के अधीन सूचना प्ररूप – 'क' में होगी।

4. **अतिचारी को लाये जाने का निर्देश देने के लिए वारंट** – अतिचारी की गिरफ्तारी के लिए धारा 22 के अधीन प्रत्येक वारंट में उस अधिकारी, जिसे उसका निष्पादन सौंपा जाये, को यह निर्देश होगा कि वह उसे सुविधा अनुसार पूर्ण शीघ्रता से कलक्टर के समक्ष लाये। ऐसा वारंट प्ररूप - 'ख' में होगा।

5. **अतिचारी को कारागार सुपुर्द्द करने का वारंट** – जब नियम 4 के अधीन जारी किसी वारंट के अन्तर्गत कोई व्यक्ति लाया जाता है तो कलक्टर, अतिचारी के सिविल कारावास में निरोध का आदेश देगा। सिविल कारागार को सुपुद्द करने का वारंट प्ररूप - 'ग' में होगा।

6. **सिविल बन्दी का वर्गीकरण** – कलक्टर अतिचारी के सामाजिक स्तर पर विचार करने के पश्चात् कारागार अधीक्षक को बन्दी के वरिष्ठ वर्ग या साधारण वर्ग के रूप में वर्गीकरण के सम्बन्ध में अपनी शिफारिश भेजेगा। इस सिफारिश के प्राप्त होने पर, अधीक्षक, वरिष्ठ वर्ग सिविल बन्दी को 'ख' श्रेणी कारावासी तथा साधारण वर्ग सिविल बन्दी को 'ग' श्रेणी कारावासी, जैसा कि राजस्थान कारागार नियम में विहित किया गया है, व्यवहृत करेगा।

---

1. अधिसूचना सं. एफ. 4 (31) राजस्व/उपनि./76, दिनांक 16.04.1979 द्वारा हटाया गया।

7. **निजी साधनों से भोजन एवं वस्त्र** – इन नियमों के अधीन सिविल बन्दी अपने भोजन एवं वस्त्रों की पूर्ति स्वयं के निजी साधनों से कर सकता है।

प्ररूप - 'क'

(देखिये नियम 3)

राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 22 के अधीन सूचना

न्यायालय कलक्टर ..... जिला .....

विविध प्रकरण सं. ..... सन् .....

राज्य बनाम ..... पुत्र .....

जाति .....निवासी .....

आपने कृषि वर्ष ..... के दौरान तहसील ..... के ग्राम ..... के खसरा सं. ..... की अनाधिवासित ..... सरकारी भूमि पर अतिचार किया है।

एतद्द्वारा आपको सूचना दी जाती है कि आप दिनांक ..... से पूर्व उक्त भूमि को रिक्त कर दें या स्वयं अथवा प्लीडर के द्वारा दिनांक ..... को ..... बजे उपस्थित हों तथा हेतुक दर्शित करें कि क्यों न आपको वहां से निष्कासित किया जाये। आप से यह हेतुक दर्शित करने की भी अपेक्षा की जाती है कि उक्त भूमि पर उक्त कृषि वर्ष के दौरान अतिचार करने के लिए क्यों न आप पर वार्षिक लगान या निर्धारण, जैसी भी स्थिति हो, के 50 गुणा तक की शास्ति अधिरोपित की जाये।

इस बात से भी सूचित रहें कि आपने इसी भूमि पर कृषि वर्ष ..... में भी अतिचार किया था। यह सूचना आपको ..... वर्ष में पश्चात्वर्ती अतिचार करने के सम्बन्ध में दी जा रही है। आपसे यह हेतुक दर्शित की जाने की भी अपेक्षा की जाती है कि क्यों न आपको तीन माह की अवधि के लिए सिविल कारागार को सुपुद्ध किया जाये तथा वार्षिक लगान या निर्धारण, जैसे भी स्थिति हो के 50 गुणा तक, की शास्ति संदत्त करने के लिए कहा जाये।

इस बात से भी सूचित रहें कि उक्त दिनांक, समय तथा स्थान पर उपस्थित होने में आपके विफल रहने पर प्रकरण आपकी अनुपस्थिति में विनिश्चत किया जायेगा।

आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के अधीन् दिया गया।

मुद्रा

कलक्टर

जिला .....

प्ररूप - 'ख'

(देखिये नियम 4)

राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 22 के अधीन आदेश के निष्पादन में गिरफ्तारी का वारंट

न्यायालय कलक्टर ..... जिला .....

विविध प्रकरण सं. ..... सन् .....

राज्य बनाम ..... पुत्र .....

जाति .....निवासी .....

प्रेषिती

न्यायालय बेलिफ।

यतः श्री ..... पुत्र .....जाति .....निवासी ..... को उपरोक्त प्रकरण में सिविल कारागार को सुपुर्द किये जाने का आदेश दिया गया था।

अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप उक्त श्री ..... को गिरफ्तार करें तथा सुविधानुसार पूर्ण शीघ्रता से उसे न्यायालय के समक्ष लायें।

आपको यह और आदेश दिया जाता है कि आप इस वारंट को दिनांक ..... को या इसके पूर्व ऐसे पृष्ठांकन सहित, जिसमें उसके निष्पादन किये जाने का दिवस तथा रीति या उसको निष्पादन न किये जाने के कारण प्रमाणित कियें गयें हों, लौटा देवें।

आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के अधीन दिया गया।

मुद्रा

कलक्टर

जिला .....

प्ररूप - 'ग'

(देखिये नियम 5)

राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 के अधीन अतिचारी को सिविल कारागार सुपुर्द करने का वारंट

न्यायालय कलक्टर ..... जिला .....

विविध प्रकरण सं. ..... सन् .....

राज्य बनाम ..... पुत्र .....

जाति .....निवासी .....

प्रेषिती

जेल का भारसाधक अधिकारी,

.....

यतः ..... जिसे दिनांक ..... को उक्त न्यायालय द्वारा किये गये तथा सुनाये गये आदेश के निष्पादन में वारंट के अधीन इस न्यायालय के समक्ष आज दिनांक ..... को लाया गया है तथा उक्त आदेश द्वारा यह निर्देश दिया गया था कि उक्त श्री ..... को अनाधिवासित सरकारी भूमि पर पश्चात्वर्ती अतिचार करने के कारण ..... के लिए सिविल कारावास को सुपुर्द किया जाये।

अतः एतद्द्वारा आपको आदेश दिया जाताा है तथा आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त श्री ..... को सिविल कारावास में लें तथा उसे ..... से अनाधिक अवधि के लिए, सिविल कारावास में कारावासित रखें।

आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के अधीन दिया गया।

मुद्रा

कलक्टर

जिला .....